न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री परशुराम धानका, आ.ए.एस.

अपील संख्याः— 99/2017 (223 आर.टी.एक्ट.) तारीख रज्जू 10.07.2017
आरसीएमएस संख्या :— 2017/00190

उनवान

1. भूपसिंह पुत्र श्री खुशीराम जाति ज़ाट निवासी पुरानी पत्थर की टाल अनाह गेट जिला भरतपुर —राज0 । (मृतक)

1/1 घनश्याम सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह
1/2 पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह
1/3 टोनी कुमार सोगरवाल पुत्र श्री मानसिंह
1/4 लोकेश पुत्र श्री मानसिंह
1/5 खैमसिंह पुत्र स्व0 महेन्द्रसिंह
1/6 कुलदीप सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्रसिंह
1/7 सुरेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
1/8 चेतन सिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
} जाति जाट निवासी अनाह गेट बजरिया भरतपुर — राजस्थान

1/9 राजवीरी पुत्री भूपसिंह पत्नी जगवीर सिंह जाति जाट निवासी अनाह गेट बजरिया
1/10 मिथलेश पुत्री भूपसिंह पत्नी खजानसिंह जाति जाट निवासी अनाह गेट बजरिया

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर भरतपुर
2. तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील भरतपुर।
3. नगर परिषद भरतपुर जरिये अध्यक्ष ,नगर परिषद भरतपुर

..... रैस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर दिनांक 12.05.2017 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 17/2013 उनवानी भूपसिंह बनाम राज0 सरकार वगै0।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

उपस्थित :–

1. अपीलांट की ओर से वकील श्री महाराजसिंह डागुर

निर्णय

28.07.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2017 के विरूद्व पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्य विरूद्ध है इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट/वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बरान 483, 484, 486, 487, स्थित ग्राम गोलपुरा तहसील भरतपुर में कृषि कार्य हेतु आने–जाने के लिए 30 फुट चौडा कदीमी रास्ता हमेशा से हाल खसरा नम्बर 485 गत 223 /3–13 की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे स्थित रहा है। जिसके उत्तरी भाग में होकर मथुरा वाई पास सडक निकल चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही कर तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय अपीलार्थी/ वादी के विपरीत करने में भारीं त्रुटि की है। उक्त रास्ता आराजी खसरा नम्बरान 486 व 489 तक पहुचता है और 30 फुट चौडाई मे हमेशा से रहा है उसे राजस्व अभिलेख जमाबन्दी व नक्शा अक्स में अंकित नही होने के कारण उत्तरवादी मानने से इंकार हो रहे है और धमकी रास्ते को बंद करने की दे रहे है जबकि उक्त रास्ते की भूमि उत्तरवादी का कोई संबंध नही है और न ही कभी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं0 3 का निर्णय उत्तरवादी /प्रतिवादी के हक मे निर्णित करने में भारी त्रुटि की है। धारा 80 सीपीसी के नोटिस से युक्ति प्रदान करने हेतु अपीलार्थी/वादी ने वादपत्र के साथ धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर युक्ति प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर उत्तरवादी को तलव कर सुनवाई की है। इसलिए नोटिस की प्रकरणो में कोई आवश्यकता नही रही है। तनकी संख्या 4 का निर्णय उत्तरवादी के हक में करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि अपीलांट/वादी की आराजी के लिए आने जाने के लिए दूसरा विकल्प मौजूद है कतई गलत है ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नही है और न ही उत्तरवादी के द्वारा साबित किया गया है इसलिए भी निर्णय व डिकी अधीनस्थ न्यायालय तहत कतई गलत है जो निरस्तनीय है। कथित रास्ते का राजस्व अभिलेख में अंकन नही होने से अपीलांट/ वादी के रास्ते के लिए प्रस्तुत इस दावे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता है। न्यायालय को धारा 251 ए राजस्थान टी एक्ट के अनुसार राजस्व अभिलेख में नये सिरे से रास्ता कायम करने का पूर्णतया अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कारण दावा अपीलांट/वादी साबित करने में भारी त्रुटि की है जो रास्ता कायम कराया जा रहा है या घोषित किया जाना है वह भूमि भी आम रास्ता (सरकार) की होगी। उससे उत्तरवादी के अधिकारो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है। इसमें उत्तरवादी खेती को आने जाने के लिए उचित चौडाई में रास्ता कायम कराने का अपीलांट /वादी कृषक को कानूनी अधिकार प्राप्त है। अतः अधीनस्थ न्यायायल का निर्णय व डिकी कतई गलत एवं निरस्तनीय है इसलिये निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। पर्याप्त सूचना के वावजूद रैस्पोडेटस हाजिर अदालत नही आये ओर न ही कोई वकील उनकी ओर से पैरवी हेतु उपस्थित हुआ।

3. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटस को अपील पर सुना। विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद पत्र की पत्रावली की ओर ध्यान आकर्षित कर दलील दी की अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा दावा अन्तर्गत धारा 92 ए 88, 89 ,188–251 (ए) आर.टी.एक्ट दिनांक 12.05.2017 को खारिज कर दिया जबंकि अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 483, 484, 486 , 487 वाके ग्राम गोलपुरा तहसील भरतपुर में कृषि प्रयोजनार्थ आने जाने हेतु 30 फुट चौडा कदीमी रास्ता हमेशा से हाल खसरा नम्बर 485, (जो सिवायचक भूमि है) की दक्षिणी मेंड के सहारे सहारे स्थित रहा है। जिसके उत्तरी भाग में होकर मथुरा वाईपास सडक निकल चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 व 2 का निर्णय करने में भारी त्रुटि की है जो वादी के खिलाफ है। उक्त रास्ता आराजी खसरा नम्बर 486 व 489 तक पहुचता है और 30 फुट चौडाई में रहा है। यह रास्ता राजस्व नक्शे में अंकित न होने से रेस्पोडेटस ने नही माना । हमने धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी वादपत्र के साथ लगाया जिससे प्रकरण में नोटिस से छूट मिली । अधीनस्थ न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ता वताकर विवेचन किया है जबकि इन नम्बरो हेतु पहुच का कोई रास्ता नही है। न्यायालय को धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे नये सिरे से रास्ता कायम करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। हमारे खेतो तक पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नही है । यदि दस गुणी पैनल्टी का भी आदेश फरमाते तो रास्ते हेतु हम यह राशि जमा करवा देते लेकिन ऐसा नही हुआ। अपने तर्को के समर्थन में माननीय न्यायालय की नजीरे यथा आरवीजे 2022 पेज 189 , आर.आर.टी 2023(1) पेज 103, आर. आर.टी 2023 (1) पेज 486 उद्धत की है । अतः हमारी अपील स्वीकार फरमायी जावे।

4. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

5. पत्रावली के अवलोकरन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलांट द्वारा आराजी ख0 नं0 483, 484,486 व 487 मे आने जाने हेतु खसरा नम्बर 485 मे से रास्ता कायम करने की मांग की गई है। धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट 1955 में प्रकरण के अतिआवश्यकता व कग दूरी के हिसाव से रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। इसके अलावा रास्ता चाहने वाले को वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध करना होता है इस प्रकरण में विचारण न्याायालय मे प्रतिनिधि पैरोकार सरकार द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत किया गया। जबाबदावा में हाल आराजी खसरा नम्बर 483, 484 485 व 486 वाके ग्राम गोलपुरा के बीच स्थित मेड पर राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता अंकित होना नही वताया । खसरा नंबर 485 के बाजानिब दक्षिण मेड में कोई रास्ता अंकित नही बताया है। वादी द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्सा मे दर्ज न होने से दावा खारिज करने की प्रार्थना की । अपीलांट द्वारा न तो वादपत्र में एवं न ही अपील में हाल खसरा नम्बर 485 एवं उसके साबिक खसरा नम्बर 223 की जमाबन्दी पेश की गई है। हाल व गत खसरा नम्बर के नक्सों मे काई रास्ता अंकित/ दर्शित नही है। धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट में केवल निजी खातेदारो की भूमि मे से ही रास्ता विधिक रूप से देने का प्रावधान है किन्तु हाल खसरा नम्बर 485 विसायचक भूमि की श्रेणी में आता है जिस पर रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

314

देने हेतु धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागू नही होते है और ऐसी राजकीय भूमि पर लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानो के तहत ही रास्ता सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील आर.टी.एक्ट 1955 में दिये गये प्रावधानो के अनुरूप नही है और जो आदेश विचारण न्यायालय मे पारित किया गया है वह विधि सम्मत है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्यो एवं इस प्रकरण के तथ्यो में भिन्नता होने से उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। इस प्रकार अपीलांट की अपील निराधार व सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6. फलस्वरूप उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अपील फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

4/24